IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

मनरेगाका महिला श्रमिकों पर प्रभाव का अध्ययन

मारिया सैनी, शोधार्थी, जे. जे. टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान
डॉ. शिवकुमार, सहायक आचार्य, जे. जे. टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान

सारः–महिलाओं को पूर्व–ऐतिहासिक समय से ही नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस अनुसंधान से महिला सशक्तिकरण पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना और इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता करना है। यह अध्ययन महिलाओं के जीवन पर कार्यक्रम के प्रभाव को उजागर करने के लिए निष्कर्ष निकालने के लिए राजस्थान के झुंझुंनू जिले में महिला कार्यकर्ता पर केंद्रित है। अध्ययन में महिला श्रमिकों के महत्वपूर्ण लाभ शामिल हैं जिनमें आय लाभ, सामाजिक सशक्तीकरण,घरेलू निर्णय लेने और सामुदायिक संपत्ति का निर्माण आदि।

मुख्य शब्दः ग्रामीण विकास, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, मनरेगा कार्यक्रम का प्रभाव।

परिचयः

देश में महिलाएं भारतीय समाज का हिस्सा हैं।उन्हें उचित शिक्षा के साथ सतर्क किया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें शारीरिक क्षमता के अनुसार सभी प्रकार के काम सौंपे जाने चाहिए।ये समाज का एक अनिवार्य भाग हैं। ये समाज के साथ–साथ देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तव में महिलाओं की परिभाषा अलग–अलग लोगों के लिए अलग है लेकिन एक अंतर्निहित आधार है जो राष्ट्रीयता, जाति, रंग या पेशे की परवाह किए बिना बदल नहीं सकता है। जब महिलाओं को खुद को सशक्त बनाने के लिए पूरा समाज लाभान्वित होता है और परिवार स्वस्थ होते हैं। इसलिए, महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य अपने स्वयं के निर्णय लेने की शक्ति से है।

महिला सशक्तीकरण में महिलाएं सोचने, सपने देखने के लिए सशक्त हैं। आज आम तौर पर यह देखा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। वे अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्थिक सशक्तीकरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल महिलाएं जो अपनी आजीविका कमाती हैं वे सामाजिक और लैंगिक संबंधों को चुनौती दे सकती हैं और लैंगिक समानता ला सकती हैं। आज महिलाएं देश के सभी क्षेत्रों में लगी हुई हैं और देश के विकास में बहुत योगदान देती हैं।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की पहल करती है। सरकार द्वारा की गई सभी पहलों में हमने झुंझुंनू जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मनरेगा की भूमिका का आंशिक रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिला आबादी दैनिक मजदूरी कार्यकर्ता के रूप में लगी हुई है। उनमें से अधिकांश घरेलू कार्य,घर निर्माण, सड़क निर्माण, सफाई या सफाई कर्मचारी और श्रमिक के रूप में लगी हैं। मनरेगा अधिनियम– 2005एक कानून है जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष मेंप्रत्येक घर में वयस्क सदस्य जो स्वेच्छा से काम करने के लिए करने के लिए तैयार हैं को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाले रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के अधिकार की गारंटी और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

नरेगा कार्यक्रम भारत के ग्रामीण गरीबों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला कार्यक्रम है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन को स्थिर करना और निर्धनता का परिदृश्य बदलकर गरीबों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम है।

मनरेगा काम करने की कानूनी गारंटी प्रदान करके पहले के सभी रोजगार कार्यक्रमों से एक बदलाव का प्रतीक है। यह समाज के सभी वंचित वर्गों को शामिल करने वाला एक समावेशी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शोधपद्धतिः

अध्ययन क्षेत्रः

वर्तमान अध्ययन का क्षेत्रफल जयपुर संभाग का झुंझुंनू जिला है जिसका क्षेत्रफल 5,928 वर्ग किमी है। जिले की कुल ग्रामीण आबादी 1647966 लाख है जिसमें से 842718 पुरूष एवं 805248 महिला जनसंख्या हैं। भौगोलिक दृष्टि से कुल 1,647,966 ग्रामीण आबादी वाला यह जिले की कुल आबादी का लगभग 77.1 प्रतिशत है। यह जिला उत्तर में जिला चूरू, पूर्व में जिला हरियाणा राज्य का महेन्द्रगढ एवं राज्य का नीमकाथाना, दक्षिण में सीकर और पश्चिम में चूरू एवं सीकर के कुछ हिस्से से घिरा हुआ है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

नमूना इकाइयाँ:–

शोध झुंझुंनू जिले में मनरेगा की भूमिका पर केंद्रित है। यह अध्ययन गुणात्मक प्रकृति का है। शोध को स्व–संरचित वैध और विश्वसनीय प्रश्नावली का उपयोग करके सर्वेक्षण विधि द्वारा पूरा किया जाता है।राजस्थान के झुंझुंनू जिले में 8तहसील हैं। तहसीलों के नमूना में जिले का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व देने के लिए जनसांख्यिकी, स्थान विशिष्ट विशेषता आदि के आधार पर ध्यान रखा गया है। नमूनों का वितरण नीचे विस्तार से किया गया है:–

यह अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक संमक दोनों पर आधारित है। प्राथमिक संमक संरचित और असंरचित प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से एकत्र किया गया है और माध्यमिक को अनुसंधान जांचकर्ताओं द्वारा प्रकाशित विभिन्न निकायों के समंक, पत्रिकाओं और विभिन्न वेबसाइट, बैंक रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित समंको से लिया गया है। चयनित समंक को व्यवस्थित तरीके से सारणीबद्ध किया गया है और उन्हें अलग–अलग सांख्यिकीय तरीकों से व्यवहार किया गया है ताकि कुछ निश्चित पैटर्न या संबंध निकाला जा सकता है।

इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिला आबादी दैनिक मजदूरी कार्यकर्ता के रूप में लगी हुई हैं। उनमें से अधिकांश घर के काम, घर के निर्माण, सड़क निर्माण, सफाई और सफाई कर्मचारी के रूप में और श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं।

अध्ययन का उद्देश्य:

यहअध्ययन मनरेगा और महिला सशक्तीकरण से संबंधित बहुत सारे विकल्पो का अध्ययन करता है। कुछ चुनिंदा उद्देश्यों पर विचार करने के बाद इस पहलू पर विचार किया जाता है –

1. उत्तरदाताओं के जीवन पर मनरेगा कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. योजना के लागू करने में आने वाली समस्याओंका पता करना।
3. मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।

अध्ययन का सारांश:

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का हैं। इसलिए जब तक कि उनकी जरूरतें और रुचि पूरी न हो तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। जब तक उनको मजबूत सतर्क और समाज में बराबरी की स्थिति के बारे में जागरूक नहीं किया जाता हैसशक्तिकरण का कोई अर्थ नहीं होगा। मनरेगा महिला सशक्तिकरण का वादा करता है। महिलाओं पर मनरेगा के विभिन्न प्रभावों के बारे में नीचे दिया गया है–

कम ऋणग्रस्तता – मनरेगा महिला श्रमिको के ऋण के बोझ को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता करता है। लगभग 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्होंने छोटे कर्ज चुकाने में अपनी मजदूरी खर्च की है। जिससे वे स्थानीय साहूकारों के चंगुल से खुद को दूर रख सकते है। लेकिन मनरेगा के माध्यम से अर्जित राशि कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपभोग आय– महिलाओं की मनरेगा आय घरेलू आय में उनके योगदान को बढ़ा रही है। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं के एक बड़े भाग ने कहा कि वे नियमित भोजन और उपभोक्ता वस्तुओं पर मनरेगा कार्यों में अर्जित आय व्यय करते हैं। मनरेगा से स्थानीय रूप से आय में वृद्धि हुई है उन्होंने महसूस किया कि मनरेगासे एक दिन में दो नियमित भोजन सुनिश्चित करने में मदद मिल रह है। मनरेगा से खाद्य सुरक्षा और शिशु आहार पर सकारात्मक प्रभाव के कारण शिशु कुपोषण भी कम हो सकता है।

समृद्ध साक्षरता– मनरेगा से महिलाओं के शिक्षा स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। मनरेगा अधिनियम आने के बाद से महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत धीरे–धीरे बढ़ रहा है। लगभग 37 प्रतिशत ने अपने बच्चों की शिक्षा पर मनरेगा मजदूरी खर्च किया। 2011 की जनगणना के अनुसार, झुंझुंनू जिले की महिला और पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 86.90 प्रतिश्त और 60.95 प्रतिश्त है। राजस्थान की 2011 की जनगणना रिपोर्ट ने 2001 में 86.09 प्रतिशत से लेकर 2011 में 86.90प्रतिश्त तक वृद्धि की है, जिसमें महिला साक्षरता दर में तेजी देखी गई।

आय में वृद्धि– मनरेगा का मुख्य उद्देश्य घरेलू आय–सृजन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। यह देखा गया है कि मनरेगा ने उनके हाथों में नकद आय बढ़ाने में मदद की जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का एक बड़ा हिस्सा है। सर्वेक्षण से पता चलता हैं कि महिला कार्यकर्ता पारिवारिक भूमिकाओं और उनके कार्य निर्णयों में योगदान के रूप में अपनी भूमिकाओं के बारे में अधिक आश्वस्त हैं।यह इंगित करता है कि महिला श्रमिकों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है।

गरीबी बेअसर – मनरेगा आने से पहले यह देखा गया है कि झुंझुंनू जिले में गरीबो का जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का हैं। अधिनियम के लागू होने के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मनरेगा आने से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे अंततः लोगों की आय में वृद्धि हुई और गरीबी के स्तर को कम करने में मदद मिली। क्योंकि ये अपनी स्वच्छता सुविधाओं, पीने के पानी, पोषण स्तर आदि विकसित करने में सक्षम हाने के परिणामस्वरूप जीवन स्थिति में भी सुधार कर पाये हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

बेहतर स्वास्थ्य देखभाल–मनरेगा अधिनियम से अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है। मनरेगामजदूरी का एक बड़ा खर्च स्वास्थ्य देखभाल है। लगभग 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कमाई की खर्च स्वास्थ्य पर किया है। अधिनियम के लागू होने के बाद चयनित क्षेत्रों की स्वास्थ्य स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अधिनियम काम के घंटों के दौरान चिकित्सा सुविधा, श्रमिको के बच्चों को भोजन,पीने के पानी की सुविधा आदि भी प्रदान करता है।

इंट्रा–घरेलू प्रभाव– महिलाएं अपने परिवार के लिए आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनके योगदान को बिना किसी कारण के नहीं रखा जाता है क्योंकि उनके प्रदर्शन को मौद्रिक रूप से नहीं माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर–घरेलू फैसलों में पुरुष का वर्चस्व देखा गया है। महिलाओं के ऐसे अवैतनिक काम को सशुल्क काम में परिवर्तित करने में मनरेगा का महत्वपूर्ण प्रभाव है और घरेलू मामलों में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका को व्यापक बनाता है।

सामुदायिक–स्तर के प्रभाव – संविधान के 73 वें संशोधन के बावजूद भी स्थानीय या जिला स्तर पर शासन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कम ही है। लेकिन मनरेगा के लागू होने के बाद कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मनरेगा के संबंध में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। महिलाओं का सामुदायिक स्तर पर सशक्तिकरण इस अधिनियम की महान उपलब्धियों में से एक है।

मनरेगा की प्रमुख कमियां

मनरेगा अधिनियम बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए मजदूरी की दर समान होगी। अधिनियमयह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि कम से कम 33 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं ही होंगी। मनरेगागाँवों में उचित मजदूरी पर महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर और अधिक स्वतंत्रता और आत्म–सम्मान का आधार रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालाँकि फिर भी मनरेगा कुछ गंभीर सीमाओं से भी ग्रस्त है।

जागरूकता का निम्न स्तर – महिलाओं में कार्यक्रम की प्रक्रिया और अधिकारों के बारे में जागरूकता के निम्न स्तर के कारण राज्य में इनकी भागीदारी कम है। लोग कृषि गतिविधियों से हट गए और मनरेगा में काम करने लगे। अध्ययन क्षेत्रों में कृषि में खाली जगह पर महिलाओं की जगह पुरुषो का कब्जा है।

गरीब कार्य सुविधाएं– सुरक्षित पेयजल, विश्राम स्थल, चेंजिंग रूम, प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों के लिए मनोरंजक सुविधाओं आदि के लिए मनरेगा मेबजट आवंटित किया जाता है। सर्वेक्षण से यह देखा गया कि पेयजल सुविधा को छोड़कर अन्य सभी सुविधाएं आम तौर पर नहीं थीं। कामकाजी महिलाएं इससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई अन्य सुविधा भी उनकों नहीं मिलती है।

मजदूरीभुगतान में देरी–मजदूरी भुगतान में देरी भी महिलाओं की खराब भागीदारी के लिए विशेष रूप से एकल महिलाओं के मामले में जिम्मेदार है अगर वे परिवार में मुख्य कमाने वाली हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण और प्रशासनिक स्थापना – सामान्य तौर पर फील्ड स्टाफ की कमी है और कर्मचारियों के अनुमोदन का प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है। कैग रिपोर्ट 2007 ने नरेगा के लिए समर्पित प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर किया है क्योंकि प्रक्रियात्मक खामियों के लिए जिम्मेदार मुख्य समस्या है।

सुझाव –

योजनाओं और इसके निष्पादन की अक्सर समीक्षा की जाती है और ऐसे मामलों में अगर कमियों को देखा जाता है तो उन्हें तुरंत दूर किया जाना चाहिए। इसके संबंध में निम्न सुझाव दिए गए हैं –

1. मनरेगा परियोजनाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाये। इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों को बढ़ावा देना और समान काम के लिए समान मजदूरी प्रदान करना शामिल हो सकता है।
2. योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों को समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और उनके पास स्वयं की सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए।
3. ग्रामीण कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। इसमें कृषि, निर्माण, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय व्यवसायों में प्रशिक्षण शामिल हो सकता है।
4. पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए मनरेगा के पास बहुत कुछ है, जो इसके साथ जुड़े अन्य विभागों या एजेंसियों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का पर्दाफाश करता है, इस संबंध में एक स्वागत योग्य कदम होगा।
5. ग्राम प्रशासन को तालुका स्तर या निचले स्तर पर लाया जाना चाहिए ताकि मनरेगा के तहत सभी विकास कार्यक्रम विकास खंड से कुछ दूरी पर स्थित गांवों तक पहुँच सकें।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

6. परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन, मजदूरी के समय पर भुगतान और धन के रिसाव को रोकने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को लागू करना।
7. फंड की हेराफेरी रोकने के लिए ग्राम पंचायत के अतिरिक्त एक अतिरिक्त सरकारी एजेंसी के माध्यम से ऑडिटिंग की जा सकती है।
8. पंचायत को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना चाहिए और सभी निर्वाचित सदस्यों को नौकरी की जिम्मेदारी वितरित की जानी चाहिए।
9. मनरेगा कार्यक्रम मे किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकाना चाहिए।
10. स्थानीय समुदायों को मनरेगा के तहत उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, योजना तक कैसे पहुंचा जाए और इससे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दें।

निष्कर्ष–

वर्तमान अध्ययन से पता चलता है कि अगर मनरेगा को एक पैमाने पर चलाया जाता है और अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो यह गरीबी को निचले स्तर को कम कर सकता है और साथ ही यह अल्पावधि में गरीबों को सशक्त बना सकता है। गुणक विश्लेषण ने अध्ययन क्षेत्र में आय, शिक्षा और आर्थिक उत्थान पर मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन किया है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य जनसंख्या के उस वर्ग के लिए कल्याण प्रदान करना है जो न्यूनतम मजदूरी भी अर्जित नहीं करता है तथ्य यह है कि यह संकटपूर्ण प्रवासन पर भी अंकुश लगा सकता है यह अधिनियम का एक सकारात्मक माध्यमिक प्रभाव है। इसलिए यदि इसका उपयोग ग्रामीण शहरी प्रवासन को रोकने के लिए किया जा सकता है तो यह इस अधिनियम का एक और लाभ होगा जो वास्तव में लंबे समय में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास में कुछ ठोस कर सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों ने कुछ हद तक ग्रामीण संकट और कृषि संकट को कम किया है। इसने योजना और कार्यान्वयन में पीआरआई को एक सैद्धांतिक भूमिका देकर लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत योजना और विकास को भी बढ़ावा दिया है पीआरआई के पास वित्त की अधिक उपलब्धता कार्यों के चयन, निगरानी और लेखापरीक्षा और महिलाओं के कुछ सशक्तिकरण में ग्राम सभाओं की केंद्रीय भूमिका है। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मनरेगा का प्रदर्शन पूर्ण संतोषजनक नहीं है। यह योजना अधिकांश जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों की नौकरी की गारंटी नहीं दे सकती है। प्राय यह देखा गया है कि बेरोजगारों को बड़े पैमाने पररोजगार प्रदान करने में यह योजना विफल रही है। हालांकि मनरेगा का महिलाओं के रोजगार पैटर्न पर सकारात्मक प्रभाव रहा है लेकिन राज्य में उनकी उपस्थिति भी औसत से कम है। समुदाय के रूप में महिलाओं के प्राप्त लाभों को ग्राम–सभा में बढ़ती उपस्थिति, बैठकों में बोलने में महिलाओं की बढ़ती संख्या, बातचीत की बढ़ती क्षमता आदि से समझा जा सकता है। यह अनूठी विशेषता अध्ययन क्षेत्रों में भी बहुत कम पाई जाती है। लेकिन पूरे देश में खराब कार्यान्वयन जैसे बाल देखभाल सुविधा की कमी, कार्य सुविधा और ठेकेदारों की गैर–मौजूदगी ने मुख्य रूप से राज्य में इस अधिनियम की लैंगिक संवेदनशीलता को समझा है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ पहल और बदलाव किए जाने चाहिए। खराब कार्यान्वयन के लिए मूल्यवान लाभ को पटरी से नहीं उतारना चाहिए।

संदर्भ सूची

[1]. शास्त्री, त्रीलोचन(2007), ''नरेगा सर्वेज इन अन्नतपुर, रायसुर एण्ड गुलबर्ग, ''इण्डियन इन्सटिट्यूट ऑफ मनैजममेन्ट (आई आई एम), बैंगलौर
[2]. प्रमोद कुमार एण्ड दीपानवीता चक्रवर्ती (2016), ''मनरेगा इम्पलायमेन्ट, वेजेज एण्ड माइग्रेशन इन रूरल इण्डिया रूटलेज,
[3]. मीनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया(2006–2012) मनरेगा समीक्षा,
[4]. खेरा आर. एण्ड एन. नायक(2009), ''वूमन वर्कर्स एण्ड प्रीसेपसन ऑफ द नेशनल रूरल इम्पलॉयमेन्ट गारन्टी एक्ट'', इकॉनॉमिक एण्ड पालिटिकल वीकली, वाल्यूम–44, इश्यू–43
[5]. मीन्हास(1970), ''पॉवर्टी इन इण्डिया'', लोगामान पब्लिसर्स, नई दिल्ली
[6]. रेड्डी ए. वी.(2007), ''नेशनल रूरल इम्पलॉयमेन्ट गारन्टी स्कीम : एन एप्रोच टू इनक्लूसीव ग्रोथ,'' साउथन इकॉनोमिस्ट, जून 2007
[7]. डी.बन्धोपाध्याय, मुखर्जी, (2007), महिला सदस्यों का सशक्तिकरण, पंचायती राज पर कार्यदल, राजीव गांधी संस्थापन द्वारा कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
[8]. दोड़त्रेकर, के.एच.(1998), रोजगार गारंटी योजना एक रोजगार अवसर महिलाओं के लिये, नागपुर प्रकाशन, उत्तरप्रदेश
[9]. हरसीमन सिंह(2012), ''महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलोयमेन्ट गारन्टी एक्ट (मनरेगा): इश्यूज एण्ड चेलेन्जेज'', इन्टरनेशनल जरनल ऑफ रिसर्च इन कामर्स, इकॉनोमिक्स एण्ड मनैजमेन्ट, वाल्यूम–2, इश्यू–1, पृष्ठ 136–140
[10]. अहानगार, जी.बी.(2014), ''वुमन ऐम्वावरमेन्ट थ्रो मनरेगा: ए केस स्टडी ऑफ शाहाबाद ब्लॉक ऑफ अन्ननाग डिस्ट्रीक्ट'', जम्मू एण्ड कश्मीर, अभीवन, 3(2)